आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –243 / 2022
अनील कुमार कुशवाहा
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 18227 / 2021 में दिनांक–22.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 15.12.2020 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"Since the matter is with respect to selection of a candidate as a dealer/licensee; thus in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause-36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 15 days, he shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including respondent no. 8, shall pass a final order within a further period of 60 days, giving reasons in support of the decision taken by him."** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(i) आवेदक (श्री अनील कुमार कुशवाहा) जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु प्रखंड–मेजरगंज, पंचायत–बसबिट्टा, रोस्टर क्रमांक 50, कोटि–अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को आवेदन दिया।

(ii) जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2020 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक में विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) को अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया।

(iii) विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) रोस्टर बिन्दु 50 की निवासी नहीं है। उनके परिवार का एक सदस्य पूर्व से ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। उनके पास एक आटा–चक्की भी है, जो उनके देवर चलाते है।

(iv) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा **"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016"** के कंडिका 36 में निहित प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय गलत है, जिसे set aside किया जाना चाहिए।

विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) श्रीमती सोनी कुमारी संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं है।

(ii) श्रीमती सोनी कुमारी के पति का भाई श्री चंद्रवीर प्रसाद, जो ज0वि0प्र0 विक्रेता है का घर वार्ड नं०–02 में गृह सं0–102 है, जबकि श्रीमती सोनी कुमारी का घर वार्ड नं०–01 में गृह सं0–15 है।

(iii) रोस्टर क्रमांक 50 की रिक्ति अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है, जबकि आवेदक (श्री अनील कुमार कुशवाहा) पिछड़ा वर्ग से आते है।

(iv) आपत्तिकर्ता का आपत्ति तीन बार चयन समिति से गुजरा और श्रीमती सोनी कुमारी का चयन यथावत रहा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जब पहले से ही परिवार में कोई ज0वि0प्र0 विक्रेता है तो परिवार के किसी अन्य

WEB COPY NOT OFFICIAL

सदस्य को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद सीतामढ़ी जिला में प्रखंड–मेजरगंज, पंचायत–बसबिट्टा के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) को अर्हता एवं योग्यता में वरीयतम होने के फलस्वरूप उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु चयनित किया गया। आवेदक (श्री अनील कुमार कुशवाहा) का आरोप है कि विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) के पति का भाई जन वितरण प्रणाली विक्रेता है एवं उनका देवर आटा चक्की चलाता है।

समाहरणालय, सीतामढ़ी के पत्रांक 160 दिनांक 23.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त रोस्टर बिंदु किस कोटि हेतु आरक्षित है। साथ ही औपबंधिक मेंधा सूची के प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति पर की गई कार्रवाई से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) का अनुज्ञप्ति हेतु चयन नियमानुकूल है अथवा नहीं ?

सुनवाई के दौरान विपक्षी सं0–07 (श्रीमती सोनी कुमारी) ने माना कि पति के भाई को पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त है। इस संबंध में ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' की कंडिका 11(i) में अंकित है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई ***परिवार की परिभाषा*** में आयेंगे। साथ ही कंडिका 11 (iii) में अंकित है कि आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

इस प्रकार इस संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 15.12.2020 को आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अतएव प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि आवेदक, विपक्षी सं0–07 एवं सभी संबंधितो को सुनवाई का समूचित अवसर

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करे। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL